

बिहार विधान सभा सचिवालय  
सार्वजनिक नीलामी की सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय की निष्प्रायोजित निम्नलिखित 7 पुरानी गाड़ियों की सावजनिक नीलामी "जहां है, जैसी है कं आधार पर" दिनांक 09.07.2021 को 11.00 बजे पूर्वा० में गभा सचिवालय स्थित उपभवन के सभागार में होगी :-

क्र०	वाहन सं०	वाहन का प्रकार	निर्माण वर्ष	न्यूनतम मूल्य
01.	BR1AC0004	Tata Safari	2006	1,85,000/-
02.	BR1AP8503	Scorpio	2007	1,25,000/
03.	BR1AP8504	Scorpio	2007	1,25,000/
04.	BR1AP8505	Scorpio	2007	1,25,000/
05.	BR1AP8506	Scorpio	2007	1,25,000/
06.	BR1AP8517	Scorpio	2007	1,25,000/-
07.	BR1AP0813	Maruti Van	1992	5500/-


नीलामी की जाने वाली गाड़ियों की विस्तृत सूची एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा के वेबसाईट [www.vidhansabha.bih.nic.in](http://www.vidhansabha.bih.nic.in) पर देखी जा सकती है ।

उपर्युक्त गाड़ियों के क्रमांक 1 से 6 तक की गाड़ियों के लिये प्रति गाड़ी जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रति गाड़ी 10,000/- रू० तथा क्रमांक 7 के लिए जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी 1,000/- रू० की दर से नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों को बैंक ड्राफ्ट अथवा केश कं रूप में सचिव, बिहार विधान सभा कं कार्वालय कक्ष में दिनांक 05.07.2021 से दिनांक 07.07.2021 को 5.00 बजे अपराहन तक जमा करना होगा । बैंक ड्राफ्ट डी०डी०ओ० बिहार विधान सभा

के पदनाम से भुगतये होगा। प्रत्येक गाड़ी की नीलामी की प्रक्रिया अलग-अलग की जाएगी। अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को गाड़ी की नीलामी दी जाएगी। नीलामी में सफल व्यक्ति/एजेंसी को अधिकतम डाक मूल्य की 25 प्रतिशत राशि उसी दिन सभा सचिवालय में जमा करनी होगी। नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा के अवर सचिव के दूरभाष संख्या- 0612-2215722 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा गाड़ियों का भौतिक रूप से अवलोकन भी किया जा सकता है।

### अन्य शर्तें:

1. नीलामी के पश्चात् दिनांक 14.07.2021 तक अधिकतम डाक मूल्य की शेष राशि जमा कर गाड़ी को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा।
2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी, डाक मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा बांली की कुल राशि नियत समय तक सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75 प्रतिशत राशि जमा कर नीलाम की जाने वाली गाड़ियों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को स्वतः मान्य होगी, साथ ही अग्रधन की राशि उन्हें वापस नहीं की जाएगी।
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर, जो भारत के नागरिक हैं, नीलामी में भाग ले सकते हैं।
4. बिना कारण बताए इस नीलामी को रद्द करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय का होगा।

  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।